कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर
(केन्द्रीय नजारत अनुभाग)
नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु दीवानी न्यायालय, गोरखपुर परिसर में स्थित चाय–पकौड़ी, फोटो कापी, चूड़ा–दही, पौधशाला आदि दुकानों, जिनका विवरण निम्नवत है, की नीलामी परिसर स्थित सभागार में दिनांक **27.03.2019** को सांयकाल 4:30 बजे होगी।

1. **चाय पकौडी की दुकान संख्या–03, बाहरी मुख्य गेट के बाहर उत्तर की तरफ**
2. **चाय पकौडी की दुकान संख्या–04, अभिलेखागार सिविल के पास**
3. **फोटोकापी की दुकान संख्या–02, अभिलेखागार भवन के पश्चिम बरामदे में दक्षिण**
4. **फोटोकापी की दुकान संख्या–03 भीतरी मुख्य गेट के अन्दर दक्षिण तरफ**
5. **फोटोकापी की दुकान संख्या–04 अभिलेखागार भवन के पश्चिम बरामदे में उत्तर**
6. **पौधशाला की दुकान भीतरी मुख्य गेट के अन्दर तरफ**
7. **चूडा दही की दुकान भीतरी मुख्य गेट के अन्दर दक्षिण की तरफ**

जिस किसी इच्छुक व्यक्ति को बोली बोलनी हो तो वह दिनांक **26.03.2019** को नजारत अनुभाग में आकर 11:00 बजे से 1:00 बजे तक अपनी जमानत की धनराशि, जो अलग–अलग दुकानों के लिए निर्धारित की गई है, जमा कर सकता है।

उपरवर्णित दुकानों के अलावा साईकिल स्टैण्ड, चाय–पकौड़ी की दुकान सं0–1 (जो भीतरी मुख्य गेट के पास स्थित है), फोटो कापी की दुकान सं0– 01, 05 व 06 एवं फल जूस की दुकान, जो प्रस्तावित निर्माणाधीन भवन में स्थित है, की नीलामी नहीं होनी है। नीलामी केवल उपरोक्त अतिरिक्त दुकानों की ही की जानी है।

नीलामी की नियम व शर्तें इस प्रकार हैं।

1. पिछले वर्ष के बकायादार नीलामी में भाग लेने का हकदार नहीं होगा।
2- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अलग–अलग दुकानों हेतु धरोहर धनराशि अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी जो कि वित्तीय वर्ष–2018–19 के ठेके की धनराशि की 20 प्रतिशत होगी।
3. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण–पत्र जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे नीलामी में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
4- सभी दुकानों का ठेका अलग–अलग दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक के लिये दिया जायेगा।
5. सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति को ही ठेका दिया जायेगा किन्तु जनपद न्यायाधीश, जो स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है, को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी ठेके को निरस्त कर सकते हैं।
6. **अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी की कार्यवाही समाप्त होने पर बोली की आधी धनराशि तत्काल तथा शेष आधी धनराशि 10 दिन में केन्द्रीय नजारत में जमा करनी होगी अन्यथा उसके पक्ष में नीलामी स्वतः समाप्त समझी जायेगी और सम्पूर्ण जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।**
7. दुकान निश्चित् किये गये स्थल पर ही होगी तथा प्रत्येक दुकानदार सामानों की बिक्री दुकान पर करेंगे। यदि कोई न्यायालय परिसर में घूम कर विक्रय करता पाया जायेगा तो उसकी नीलामी निरस्त कर दी जायेगी और उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। राज्य सरकार के आदेशानुसार प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। यदि चाय–पकौड़ी आदि के दुकान पर

प्लास्टिक के मग, प्लेट, गिलास आदि प्रयोग करते पाये गये तो दुकान की नीलामी तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी। नीलामी स्वीकार या अस्वीकृत करने का अन्तिम अधिकार बिना किसी कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश को सुरक्षित होगा।

8. ठेकेदार द्वारा दुकान पर दर सूची बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा ।
9. कोई भी ठेकेदार/व्यक्ति ठेके पर आवंटित दुकान जिस निमित्त आबंटित की गयी है, के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य या व्यापार के लिए उसका उपयोग नहीं करेगा।
10. वित्तीय वर्ष 2018–19 में भी जिन दुकानदारों द्वारा दुकानें ठेके पर ली गयी थी और उनकें द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष की सम्पूर्ण धनराशि जमा की जा चुकी है। वह दुकानदार भी वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु नीलामी में भाग ले सकते हैं।
11. किसी ठेकेदार को स्थाई प्रकृति का निर्माण अथवा अतिक्रमण करनें का अधिकार नहीं होगा तथा तय दुकान उसकी ओर से अन्य किसी को किराये पर उठाने का भी अधिकार उसे नहीं होगा।
12. नीलामी में दुकान प्राप्त करनें वाले बोलीदाता को निर्धारित स्थान पर अतिक्रमण करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।
13. ठेकेदार को दुकान के आस–पास सफाई एवं कूड़ादान इत्यादि की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी तथा गन्दगी पाये जाने पर उस पर अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा।
14. ठेकेदार जो खादय एवं पेय सामग्री बिकी करेंगे वह खादय अपमिश्रण एक्ट के मानकों के अनुरूप होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रित/मिलावटी खादय सामग्री एवं पेय का विक्रय नहीं करेगा।
15. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दुकानदार को खाली दुकान का कब्जा देना होगा अन्यथा वह प्रत्येक अतिरिक्त दिवस हेतु नीलामी राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिकर राशि अदा करने का उत्तरदायी होगा व इसके अतिरिक्त भी वह विधि अनुसार बेदखल होने का पात्र होगा।
16. किसी भी ठेकेदार को न्यायालय द्वारा बिजली उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। नीलामी प्राप्त होने पर ठेकेदार द्वारा दुकान में अपने व्यय पर बिजली कनेक्शन एवं मीटर लगाना होगा एवं बिजली बिल का भुगतान बिजली विभाग को स्वयं करना होगा तथा दुकान खाली कर वापस कब्जा प्रदान करते समय यह सूचना देनी होगी कि उसके द्वारा बिजली के समस्त बकाया बिलों का भुगतान किया जा चुका है।
17. यदि कोई दुकानदार किसी अवैद्य गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसका आवंटन निरस्त करते हुए उसके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।
18. नीलाम की बोली बोलनें वाले व्यक्ति को इसमें भाग लेने से पूर्व इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध न तो कोई आपराधिक मामला पंजीकृत हुआ है और न ही कोई मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

15/03/19

(विष्णु प्रसाद अग्रवाल)
सदस्य
नीलामी समिति
अपर जनपद न्यायाधीश,
फास्ट ट्रैक कोर्ट
गोरखपुर

15/03/19.

(मनोज कुमार राय)
सदस्य
नीलामी समिति
विशेष न्यायाधीश,
पी0सी0एक्ट–4
गोरखपुर

15.03.19

(देवेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
नीलामी समिति
प्रधान न्यायाधीश,
गोरखपुर।

15/03/19